B.Com. (HONS)
P3 - A/cs (HONS)
Paper - III BRF

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक आचार्य
वाणिज्य विभाग
V.S.J. महाविद्यालय,
राजनगर (मधुबनी)

UNIT-I

DUTIES OF AGENT

एजेन्ट तथा मालिक के बीच संबंध स्थापित होने के पश्चात कुछ कर्तव्य स्वतः उत्पन्न होते हैं, तथा कुछ अनुबंध द्वारा निश्चित कर दिये जाते हैं। अतः एजेन्ट के मालिक के प्रति निम्न लिखित कर्तव्य होते हैं:—

(i) आदेशानुसार कार्य करना, — प्रत्येक एजेन्ट का यह कर्तव्य होता है कि वह मालिक द्वारा प्रदत्त अधिकार की सीमा के अंतर्गत कार्य करना तथा एजेंसी के कार्य को मालिक के आदेशानुसार करना। यदि वह स्वेच्छानुसार संचालन करता है, तथा ऐसा करने से यदि कोई हानि होती है, इसकी क्षतिपूर्ति उसे करनी होगी, और यदि कोई लाभ होता है उसे उसका हिसाब मालिक को देना होगा। (Sec. 211)

(ii) उचित सावधानी एवं परिश्रम से कार्य करना:— (Sec. 212) एजेन्ट को अपनी एजेन्सी का कार्य उतनी ही कुशलता से करना चाहिए जितनी कुशलता से उसी प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए अन्य व्यक्ति करते हैं। इसके अलावा एजेन्सी का काम काज करने में उचित सावधानी एवं लगन का परिश्रम भी देना चाहिए। यदि एजेन्ट एजेन्सी का कार्य उचित सावधानी कौशल (बशर्ते की मालिक को उसकी कौशल-हीनता की ज्ञात नहीं न हो) और परिश्रम से नहीं करता है तो उसे अपनी लापरवाही अयोग्यता या दुराचरण होने वाली प्रत्यक्ष हानियों के लिए मालिक की क्षतिपूर्ति करनी होगी।

Scanned with CamSc

(iii) लेखा-जोखा प्रस्तुत करने का कर्तव्य — Sec.(213)·
एजेन्ट का यह सबसे प्रमुख कर्तव्य होता है कि वह मालिक की धनराशि एवं संपत्ति का उचित लेखा-जोखा रखे तथा मालिक द्वारा मांग किए जाने पर प्रस्तुत करे।

(iv) संकटकाल में सम्पर्क स्थापित करना — Sec.(214)·
संकटकाल या कठिनाई की अवस्था में एजेन्ट का यह कर्तव्य होता है कि उसका सामना करने के लिए कोई कदम उठाने से पहले मालिक से सम्पर्क स्थापित करे तथा आदेश प्राप्त करने का उचित रूप से प्रयत्न करे।

(v) अपने नाम से व्यापार न करने का कर्तव्य — Sec.(215)
एजेन्ट का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने नाम से एजेन्सी के कारोबार में कोई संव्यवहार न करे, अर्थात् मालिक को सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत करा देने के बाद उसकी सहमति लिए बिना अपने नाम से व्यापार नहीं करना चाहिए। यदि एजेन्ट बिना सहमति ऐसा कार्य करता है तो मालिक एजेन्सी अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

(vi) पारिश्रमिक के सिवाय कोई और लाभ प्राप्त न करने का कर्तव्य — Sec.(217 व 218) — सामान्यतः एजेन्ट एवं मालिक का संबंध आपसी विश्वास पर आधारित होता है। एजेन्ट को एजेन्सी के कारोबार से गुप्त रूप से कोई लाभ नहीं उठाना चाहिए। उसका यह कर्तव्य होता है कि वह मालिक के लेखे में जो भी धनराशि प्राप्त करे उसे मालिक को दे देना चाहिए। यदि एजेन्ट ने मालिक को अग्रिम राशि दे रखा है तो वह उस राशि को काट सकता है।

(vii) मालिक की मृत्यु या पागल होने की स्थिति में — (Sec. 209) — जब मालिक की मृत्यु या पागल हो जाने की स्थिति में एजेन्सी अनुबंध

Scanned with CamScanner

समाप्त हो जाती है, तब एजेन्ट का यह कर्तव्य होता है कि उसको सौंपे गए हितों की रक्षा के लिए अपने मालिक के प्रतिनिधियों की ओर से समस्त उचित कदम उठाए.

(viii) अधिकारों का प्रत्यायोजन न करना - Sec(190) — कुछ अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, एजेन्ट का यह कर्तव्य होता है कि वह एजेन्सी का काम स्वयं करे तथा अपने अधिकार का प्रत्यायोजन किसी दूसरे व्यक्ति को न करे.

RIGHTS OF AGENT

एक एजेन्ट को मालिक के विरुद्ध निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं —

(i) पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार — Sec.(219 व 220) — एक एजेन्ट को निश्चित किया गया पारिश्रमिक और यदि पारिश्रमिक निश्चित न किया गया हो तो, उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार होता है, बशर्ते कि उसने मालिक के साथ कोई पारिश्रमिक लिए बिना कार्य करने का अनुबंध न कर लिया हो. किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में, एजेन्ट अपने पारिश्रमिक की माँग केवल तभी कर सकता है जब उसने एजेन्सी के कार्य को पूरा कर दिया हो.

(ii) ग्रहणाधिकार (lien) —(Sec.221) — किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में, एजेन्ट को यह अधिकार होता है कि वह मालिक के माल, कागजात तथा चल-अचल संपत्ति को तब तक अपने पास रोक कर रख सकता है जब तक कि उसे अपना पारिश्रमिक, कमीशन तथा अन्य खर्चे न मिल जाएं.

Scanned with CamSc

(24) क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार – Sec. (223) —

एजेन्ट द्वारा सद्‌भावपूर्वक किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप यदि तीसरे पक्षकारों के हितों को क्षति पहुँचती है, और एजेन्ट को उन्हें कोई हर्जाना आदि देना पड़ता है तो वह उसके संबंध में मालिक से क्षतिपूर्ति करने का अधिकार होता है.

(25) मुआवजा पाने का अधिकार – (Sec. 225) —

एजेन्ट को मालिक से उस क्षति का मुआवजा पाने का अधिकार होता है, जिसे वह मालिक की लापरवाही या कुशलता की कमी के कारण उठाता है.

(26) माल को मार्ग में रोकने का अधिकार – Sec.

एक एजेन्ट को अपने मालिक का माल मार्ग में रोकने का अधिकार निम्न दो परिस्थितियों में प्राप्त होता है —

(a) यदि एजेन्ट ने मालिक के लिए अपने धन से माल खरीदा हो तथा

(b) यदि मालिक ने किसी तीसरे पक्षकार को एजेन्ट के दायित्व पर माल उधार बेचा हो, ——

१ ——

Scanned with CamSc